

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1) श्री सलोमी सोरेन पिता- श्री मोहन सोरेन उर्फ बिरजु सोरेन (2) श्री लाजरूस सोरेन पिता- श्री मोहन सोरेन (3) श्रीमति संगीता सोरेन पिता- श्री मोहन सोरेन (4) श्री मनीष सोरेन पिता- मोहन सोरेन (5) श्रीमति देवन्ती सोरेन पिता- श्री मोहन सोरेन (6) कान्ति कुमारी पिता- मोहन सोरेन एवं (7) सुषमा कुमारी पिता- मोहन सोरेन, ग्राम- धवैया , थाना- महुआ टांड, जिला- बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- धवैया , थाना- महुआ टांड जिला- बोकारो (झारखण्ड) थाना सं. 53 (रेयती भूमि) खाता सं. 36 के अधीन प्लॉट सं. 282, 343, 345, 347, 518, 519, 521, 523, 525, 532, 533, 535, 536, 538, 540, 541, 553P, 829, 831, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 851, 860, 862, 864, 871, 873 एवं 865। कुल रकबा - 14.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- धवैया , थाना- महुआ टांड, जिला- बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- धवैया , थाना- महुआ टांड, जिला- बोकारो (झारखण्ड) थाना सं: 53 (रेयती भूमि) खाता सं. 36 के अधीन प्लॉट सं. 282, 343, 345, 347, 518, 519, 521, 523, 525, 532, 533, 535, 536, 538, 540, 541, 553P, 829, 831, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 851, 860, 862, 864, 871, 873 एवं 865। कुल रकबा - 14.00 एकड़ भूमि के तहत (1) श्री सलोमी सोरेन पति- श्री राजु बास्के (2) श्री लाजरूस सोरेन पिता- श्री मोहन सोरेन (3) श्रीमति संगीता सोरेन पति- श्री जॉन मरा मराण्डी (4) श्री मनीष सोरेन पिता- मोहन सोरेन (5) श्रीमति देवन्ती सोरेन पति- सोनु हेम्ब्रम (6) कान्ति कुमारी पिता- मोहन सोरेन एवं (7) सुषमा कुमारी पिता- मोहन सोरेन ग्राम- धवैया , थाना- महुआ टांड, जिला- बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- धवैया , थाना- महुआ टांड, जिला- बोकारो (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

अमित  
30.06.22